5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ——————/2015 निगरानी निगरानी 2076-I-15

मनोहर सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम पडारिया जागीर तहसील नटेरन जिला विदिशा मध्यप्रदेश ——*आवेदक*

बनाम

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह आयु 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम पडारिया जागीर तहसील नटेरन जिला विदिशा ——— *प्रमुख अनावेदक*
2. दिलीपसिंह पुत्र श्री मनोहर जाति राजपूत
3. जसवंत सिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत
4. खिचन्दजी (मृत) द्वारा वारिसान
    1. योगेश कुमारी
    2. कृपा कुमारी
    3. दिपेन्द्र कुमारी पुत्रीगण जसवंतसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम पडारिया जागीर तहसील नटेरन जिला विदिशा मध्यप्रदेश

——*प्रोफार्मा अनावेदकगण*

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16.2.2015 जो प्रकरण कमांक 06/अपील/2014–15 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन द्वारा पारित किया गया

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक कमांक 1 नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह अनावेदक कमांक 2 से अपने हिस्सा लेकर अलग होगये तथा अलग रहने लगे। अन्य परिवार के सदस्य अनावेदक कमांक 2 पिता जसवंत सिंह के साथ संयुक्त परिवार मे रहे और इसी कारण निगरानी कर्ता ने अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने के

दिनांक 4-7-15 को श्री आर० डी० अग्रवाल अभि० द्वारा प्रस्तुत।
4-7-15
SO
R.D. Agrawal Adv.
Mo. 9826578858

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2076-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नटेरन जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम पड़रिया जागौर स्थित भूमि खसरा नं. 22, 98, 104, 162/2ख, 166, 173 318/1/1मि 429 किता 08 रकवा 4.324 हे. एवं सर्वे क्र. 168/1 रकवा 5.318 हे. भूमि का बंटवारा किए जाने हेतु तहसीलदार तहसील नटेरन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने दिनांक 22.07.2014 को विधिवत बंटवारा आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी नटेरन के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा 29.01.2015 को एक आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि इसी भूमि के संबंध में एक दीवानी प्रकरण दीवानी न्यायालय में प्रचलित है। एक ही विषय वस्तु हेतु दो न्यायालयों से सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2015 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि यह स्वीकृत सिद्धांत है कि एक ही आदेश के विरुद्ध दो जगह दावे पेश नहीं किए जा सकते और जब उक्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी गई हो तब ऐसी परिस्थिति में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक राजस्व न्यायालय उक्त विषय-वस्तु पर विचार नहीं कर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सकती है और उसे व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण को स्थगित कर देना चाहिए। उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में चाहा गया अनुतोष एक समान एवं एक विषय वस्तु पर है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि उनके समक्ष जो प्रकरण है वह तहसीलदार के बंटवारा आदेश की अपील से संबंधित है जबकि दीवानी न्यायालय का प्रकरण स्वत्व घोषणा से संबंधित है। उन्होंने दोनों प्रकरण की विषय-वस्तु अलग होना मानते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.01.2015 निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। बंटवारा कार्यवाही के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन है इस संबंध में आवेदक द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामत: यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य